

राम शरण महतो एवं एक अन्य

बनाम

बिहार राज्य

8 सितम्बर, 1999

[के.टी. थॉमस तथा एम.बी. शाह न्यायमूर्तिगण]

भारतीय दंड संहिता, 1860 : धारा 302, 34, 201, 342, 379 - मृतका महिला लापता पाई गई - मृतका का शव घर के कुएँ से बरामद किया गया - मृतका के शव का शीघ्रतापूर्वक दाह-संस्कार कर दिया गया - पुलिस के समक्ष परिवाद दायर किया गया - अपीलकर्ताओं के विरुद्ध धारा 302 सहपठित धारा 34, 201, 342 तथा 379 भारतीय दंड संहिता के अधीन आरोपपत्र समर्पित किया गया - विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अधीन दोषसिद्ध किया गया - उच्च न्यायालय के समक्ष अपील खारिज कर दी गई - वर्तमान अपील दायर की गई - अभिनिर्धारित : शीघ्रतापूर्वक किया गया दाह-संस्कार एक दोषारोपक परिस्थिति थी - वह पृथक तथा किसी अन्य परिस्थिति से असंबद्ध रही - मृतका की मृत्यु के संबंध में अपराध का किया जाना सिद्ध नहीं हुआ - धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अधीन दोषसिद्धि निराधार।

मृतका महिला का विवाह के. नामक व्यक्ति के साथ हुआ था तथा वह अपने पति के घर में रह रही थी। 11-06-1986 को, अपीलकर्ता, जो मृतका के पति का चचेरा भाई था, मृतका के पैतृक घर यह सूचना देने के लिए दौड़कर पहुँचा कि मृतका अपने वैवाहिक घर से लापता है। उक्त समाचार सुनते ही, मृतका का भाई, अभियोजन साक्षी-3, साइकिल से मृतका के वैवाहिक घर की ओर दौड़ा, जबकि अभियोजन साक्षी-1, जो मृतका का पिता था, पैदल पीछे-पीछे गया। अभियोजन साक्षी-3 पहले घर पहुँचा, जिसकी उपस्थिति में अपीलकर्ता ने

घर के कुएँ की तलाशी लेने का सुझाव दिया। उक्त तलाशी के अनुसरण में, मृतका का शव कुएँ में दिखाई पड़ा तथा बरामद किया गया। तत्पश्चात्, मृतका के पति ने अपने कुछ संबंधियों के साथ मिलकर मृतका के दाह-संस्कार पर जोर दिया, जबकि अभियोजन साक्षी-3 ने अभियोजन साक्षी-1 के आने तक अंतिम संस्कार स्थगित करने का अनुरोध किया। तथापि, वाद-विवाद होने के पश्चात्, अभियोजन साक्षी-3 को बाँध दिया गया तथा उसकी साइकिल छीन ली गई। अभियोजन साक्षी-1 के पहुँचने पर, उसे भी रस्सी से बाँध दिया गया। इसके बाद मृतका के शव को निकटवर्ती बगीचे में ले जाया गया, जहाँ उसका दाह-संस्कार कर दिया गया।

सम्पूर्ण घटना के पश्चात्, अभियोजन साक्षी-1 तथा अभियोजन साक्षी-3 ने पुलिस के समक्ष एक परिवाद दायर किया, जिसके अनुसरण में अपीलकर्ताओं सहित 13 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 302 सहपठित धारा 34, 201, 342 तथा 379 भारतीय दंड संहिता के अधीन आरोप निर्धारित किए गए। विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभियोजन, हत्या किए जाने के आरोप को सिद्ध करने में विफल रहा। तथापि, विचारण न्यायालय ने चार अपीलकर्ताओं को धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अधीन दोषसिद्ध किया। विचारण न्यायालय ने उक्त अपराध के संबंध में अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि पर किसी चर्चा का आश्रय नहीं लिया। दोषसिद्ध व्यक्तियों में से एक को 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा शेष को 3 वर्ष के सश्रम कारावास का दंडादेश दिया गया। अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती दी गई, किन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुई। अतः, धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अधीन दोषसिद्धि तथा दंडादेश के विरुद्ध यह अपील दायर की गई।

अपीलों को अनुज्ञात करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित : 1.1 भारतीय दंड संहिता की धारा 201 का प्रथम कंडिका अपराध के गठन हेतु आवश्यक तत्वों का उपबंध करता है, जबकि शेष तीन कंडिकाएँ प्रत्येक स्थिति में अपराध की मात्रा के आधार पर दंड की तीन भिन्न श्रेणियाँ विहित करती हैं। धारा 201 की तीनों श्रेणियों के लिए दो अनिवार्य संघटक हैं : (1) अभियुक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि कोई अपराध किया गया है अथवा कम-से-कम उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण होना चाहिए। (2) तत्पश्चात् अभियुक्त ने उस अपराध के किए जाने के साक्ष्य के लोप का कारण बनाया हो। धारा 201 के अधीन अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए अभियोजन उपर्युक्त दोनों मूलभूत संघटकों को स्थापित किए बिना नहीं बच सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 201 में परिकल्पित सर्वाधिक गंभीर श्रेणी अधिकतम सात वर्ष के कारावास से दंडनीय है। उक्त उच्चतम श्रेणी तक अपराध के पहुँचने के लिए न्यूनतम अपेक्षा यह है कि अपराधी ने ऐसे अन्य अपराध के साक्ष्य के लोप का कारण बनाया हो जो मृत्युदंड से दंडनीय है, और यह तथ्य उपर्युक्त दोनों मूलभूत संघटकों के अतिरिक्त स्थापित किया जाना चाहिए। यदि दोनों मूलभूत संघटक स्थापित हो जाएँ और अभियोजन अगली अपेक्षा को स्थापित करने में विफल रहे, तो न्यायालय धारा में विनिर्दिष्ट उच्चतम श्रेणी के अधीन अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं कर सकता। [255-एफ-एच; 256-ए-बी]

1.2. धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के प्रयोजन से यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी स्वयं मुख्य अपराध का दोषी पाया गया हो। न ही यह पूर्णतः आवश्यक है कि कोई अन्य व्यक्ति मुख्य अपराध का दोषी पाया गया हो। तथापि, यह अनिवार्य है कि अभियोजन द्वारा दो आधारभूत तथ्यों को स्थापित किया गया हो। पहला यह कि कोई अपराध किया गया है और दूसरा यह कि अभियुक्त को उसके संबंध में ज्ञान था अथवा उसके पास उस अपराध के किए जाने का विश्वास करने का

कारण था। तभी और तभी अभियोजन सफल हो सकता है, बशर्ते कि अपराध के शेष आवश्यक तत्व भी स्थापित किए गए हों। [256-बी-सी]

पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1952 एससी 354, अवलंबित।

1.3. वर्तमान वाद में अभियोजन केवल इतना ही स्थापित कर सका कि मृतका का शव उसके वैवाहिक गृह के परिसर में स्थित कुएँ से बरामद किया गया था तथा मृतका के संबंधियों और निकट परिजनों को घटनास्थल से शारीरिक रूप से दूर रखकर उसका दाह-संस्कार शीघ्रतापूर्वक कर दिया गया था। निःसंदेह, इस प्रकार की दोषपूर्ण शीघ्रता संदेह की ऐसी लहरें उत्पन्न करती है जिन्हें उन व्यक्तियों के विरुद्ध एक दोषारोपक परिस्थिति माना जा सकता है जिन्होंने ऐसी उतावली दिखाई। किन्तु वह परिस्थिति पृथक् तथा किसी अन्य परिस्थिति से असंबद्ध है। अभियोजन ने यह प्रदर्शित करने का प्रयास तक नहीं किया, सिद्ध करना तो दूर की बात है, कि मृतका की मृत्यु के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया गया था, जो धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध को स्थापित करने का आधार होना चाहिए था। [257-डी-एफ]

नाथू एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1979] 3 एससीसी 574; हनुमान एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य, [1994] अनुपूरक 2 एससीसी 39 तथा कलावती एवं एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, [1953] एससीआर 546, संदर्भित।

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता : 1999 की आपराधिक अपील सं. 912-913।

पटना उच्च न्यायालय द्वारा 1988 की आपराधिक अपील सं. 131 तथा 1998 की आपराधिक विविध सं. 20191 में दिनांक 25.03.1998 को पारित निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से : देबाशीष मिश्र के लिए शंभु प्रसाद सिंह।

उत्तरदाता की ओर से : बी.बी. सिंह।

न्यायालय का निर्णय प्रदत्त :

न्यायमूर्ति थॉमस : अनुमति प्रदान की गई।

मृतका, जो एक किशोरवय स्त्री थी, का शव उसके वैवाहिक गृह से संबद्ध एक कुएँ से बरामद किया गया। उस शव का बिना विलम्ब किए दाह-संस्कार कर दिया गया। उस घटना के लिए उसका पति कल्पू महतो तथा तीन अन्य व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है। यद्यपि अभियोजन ने उस युवती की मृत्यु के संबंध में किसी अन्य अपराध को स्थापित करने का प्रयास तक नहीं किया, तथापि विचारण न्यायालय ने दोषसिद्ध व्यक्तियों में से एक को सात वर्ष के सश्रम कारावास का दंडादेश दिया, जबकि शेष दोषसिद्ध व्यक्तियों को तीन वर्ष के सश्रम कारावास का दंडादेश दिया गया। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, किन्तु असफल रहे।

हम यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि सत्र न्यायालय ने सात वर्ष के अधिकतम कारावास के दंडादेश को अधिरोपित करने हेतु दोषसिद्धि को अपराध की उच्चतम श्रेणी तक कैसे उन्नत कर दिया, जबकि उक्त उच्चतम सीमा केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत आने वाले एक विशेष प्रकार के मामलों के लिए निर्धारित है। सत्र न्यायाधीश ने

इस संभावना पर विचार तक नहीं किया कि अपराध उपर्युक्त उच्चतम श्रेणी में आता है या नहीं, यद्यपि दोषसिद्ध चार व्यक्तियों में से केवल एक को अधिकतम दंडादेश दिया गया था। पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय में दंडादेश संबंधी भाग को पुनः वर्णित करते समय निम्नलिखित प्रकार से प्रतीत होता है कि एक त्रुटि कर दी :

“निर्णय एवं आदेश द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने 4 अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन दोषसिद्ध किया तथा उनमें से प्रत्येक को 7 वर्ष के सश्रम कारावास का दंडादेश दिया।”

पुनर्वर्णन में हुई उपर्युक्त त्रुटि विद्वान एकल न्यायाधीश के ध्यान से बच गई होगी, किन्तु हम इसका उल्लेख यहाँ इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके कारण उत्पन्न होने वाले किसी संभावित परिणाम से बचा जा सके।

वाद के तथ्य इस प्रकार हैं : मृतका आशा कुमारी की मृत्यु के समय आयु मात्र 18 वर्ष थी। उसका विवाह कल्पू महतो (ए-2) के साथ किया गया था। जब आशा कुमारी अपने पति के घर में रह रही थी, तब 11-06-1986 की प्रातःकालीन बेला में ए-3 राम सरन महतो (जो उसके पति का चचेरा भाई था) उसके पैतृक घर पहुँचा और यह चिंताजनक सूचना दी कि आशा कुमारी घर से लापता है। उक्त सूचना प्राप्त होते ही उसका भाई राम बलाजी महतो (अभियोजन साक्षी-3) साइकिल से आशा कुमारी के वैवाहिक गृह की ओर रवाना हुआ, जिसके पीछे-पीछे उसका पिता (अभियोजन साक्षी-1) पैदल गया।

अभियोजन साक्षी-3 राम बालक महतो दोपहिया वाहन पर होने के कारण पहले घर पहुँच गया। उसकी उपस्थिति में ए-3 राम सरन महतो ने सुझाव दिया कि घर के कुएँ की तलाशी ली जानी चाहिए। तदनुसार जब तलाशी ली गई, तो आशा कुमारी का शव दिखाई

पड़ा और बाद में उसे कुएँ से बाहर निकाला गया। यहाँ तक की कहानी, मोटे तौर पर, निर्विवाद प्रतीत होती है।

तत्पश्चात्, आशा कुमारी के पति कल्पू महतो तथा उससे निकट संबंध रखने वाले कुछ अन्य व्यक्तियों ने मृतका के अंतिम संस्कार को शीघ्र सम्पन्न करने की अधीरता प्रदर्शित की। अभियोजन साक्षी-3 केवल इतना चाहता था कि उसके पिता के आने तक दाह-संस्कार स्थगित कर दिया जाए, किन्तु उस सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया। इसके पश्चात् एक कहासुनी हुई और उससे विवाद उत्पन्न हो गया। अभियोजन साक्षी-3 को बाँध दिया गया तथा उसकी साइकिल छीन ली गई। जब आशा कुमारी के पिता अभियोजन साक्षी-1 वहाँ पहुँचे, तब उन्हें भी रस्सी से बाँध दिया गया। इसके बाद आशा कुमारी के शव को निकटवर्ती बगीचे में ले जाया गया, जहाँ उसे अग्नि के हवाले कर दाह-संस्कार कर दिया गया।

अभियोजन साक्षी-1 तथा अभियोजन साक्षी-3 थाना गए और शिकायत दर्ज कराई। अनुसंधान के पश्चात् पुलिस ने अपीलकर्ताओं सहित 13 व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34, 201, 342 तथा 379 जैसे विभिन्न अपराधों के लिए आरोपपत्र समर्पित किया। विचारण न्यायालय इस निर्विवाद निष्कर्ष पर पहुँचा कि “अभियोजन हत्या किए जाने के आरोप को सिद्ध करने में विफल रहा है।” तथापि, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन दंडादेश अधिरोपित करने की कार्यवाही की और उस प्रयोजन के लिए उसने केवल इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या चार अपीलकर्ताओं के अतिरिक्त किसी अन्य ने उक्त अपराध किया था। यह अभिनिर्धारित करने के पश्चात् कि चार अपीलकर्ताओं के अतिरिक्त अन्य किसी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उक्त अपराध के संबंध में अपीलकर्ताओं की सदोषता पर एक वाक्य की चर्चा किए बिना ही चारों अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध कर दिया।

निस्संदेह, केवल अपीलकर्ता राम सरन महतो को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 तथा 342 के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया था और उसे क्रमशः छह माह तथा तीन माह के सश्रम कारावास का दंडादेश दिया गया था तथा उच्च न्यायालय ने उक्त दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि कर दी है। हम उन दो आरोपों के संबंध में दोषसिद्धि और दंडादेश पर विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समक्ष उन्हें चुनौती नहीं दी गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध करने के लिए उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने वाद पर केवल निम्नलिखित पंक्तियों में विचार किया ::

“तथापि, विद्वान विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन आरोप के बिंदु पर साक्ष्य पर विचार किया। इस बिंदु पर स्वयं सूचक अपनी बहन के गाँव पहुँचा और गाँव पहुँचने पर उसने सर्वप्रथम अपनी बहन की खोज प्रारम्भ की तथा शव एक कुएँ से बरामद किया गया और जब अभियुक्तगण शव का निपटारा करने का विचार कर रहे थे तब उसने आपत्ति की और तत्पश्चात् उसे वश में कर लिया गया। उसके पिता (अभियोजन साक्षी-1) मोती महतो ने भी इस बिंदु पर अभियोजन कथन का समर्थन किया है कि जब वह बाद में पहुँचे तो उन्होंने पाया कि अभियुक्तगण शव को जलाने में लगे हुए थे। पिता (अभियोजन साक्षी-1) देर से पहुँचे क्योंकि वह पैदल जा रहे थे, जबकि उनका पुत्र साइकिल से गया था। यह कथित है कि सूचक की साइकिल अभियुक्तगण द्वारा छीन ली गई थी। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि अभियुक्तगण द्वारा शव नहीं जलाया गया होता, तो वे थाना को सूचना दे सकते थे और पुलिस को शव का अभिग्रहण कर शव-परीक्षण कराने का अवसर मिल सकता था। अतः यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं ने अपराध को दबाने के उद्देश्य से शव का निपटारा किया है।”

इस वाद में हम भारतीय दंड संहिता की धारा 201 को उद्धृत करना आवश्यक समझते हैं, जो निम्नवत् है :

"201. अपराध के साक्ष्य का लोप करना अथवा अपराधी को बचाने के लिए मिथ्या सूचना देना—जो कोई, यह जानते हुए अथवा यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का लोप इस आशय से कारित करे कि अपराधी को विधिक दंड से बचाया जाए, अथवा उस आशय से अपराध के संबंध में ऐसी कोई सूचना दे, जिसे वह मिथ्या जानता या विश्वास करता हो,

यदि वह अपराध, जिसके किए जाने का उसे ज्ञान है अथवा जिसके किए जाने का उसे विश्वास करने का कारण है, मृत्युदंड से दंडनीय है, तो वह किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

यदि वह अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है, अथवा ऐसे कारावास से दंडनीय है जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सके, तो वह किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

यदि वह अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय है जिसकी अवधि दस वर्ष तक नहीं बढ़ती, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अवधि के अधिकतम भाग के एक-चौथाई तक की अवधि के कारावास से, अथवा जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।"

धारा का प्रथम अनुच्छेद अपराध के गठन के लिए आवश्यक तत्वों को समाहित करता है, जबकि शेष तीन कंडिका प्रत्येक स्थिति में अपराध की गंभीरता के आधार पर दंड की तीन भिन्न श्रेणियाँ निर्धारित करते हैं। धारा 201 की तीनों श्रेणियों के लिए दो अनिवार्य तत्व हैं : (1) अभियुक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि कोई अपराध किया गया है अथवा कम-से-कम उसके पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि ऐसा अपराध किया

गया है। (2) तत्पश्चात् उसने उस अपराध के किए जाने के साक्ष्य का लोप कारित किया हो। धारा 201 के अधीन अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अभियोजन उपर्युक्त दोनों मूलभूत तत्वों को स्थापित करने से बच नहीं सकता।

धारा 201 में परिकल्पित सर्वाधिक गंभीर श्रेणी सात वर्ष के अधिकतम कारावास से दंडनीय है। अपराध के उस उच्चतम स्तर तक पहुँचने के लिए न्यूनतम आवश्यकता यह है कि अपराधी ने ऐसे किसी अन्य अपराध के साक्ष्य का लोप कारित किया हो जो मृत्युदंड से दंडनीय है, और यह तथ्य उपर्युक्त दोनों मूलभूत तत्वों के अतिरिक्त स्थापित किया जाना चाहिए। यदि दोनों मूलभूत तत्व स्थापित भी हो जाएँ, किन्तु अभियोजन अगली आवश्यकता को स्थापित करने में विफल रहे, तो न्यायालय अभियुक्त को धारा में विनिर्दिष्ट उच्चतम श्रेणी के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं कर सकता।

धारा 201 के अधीन अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने हेतु यह आवश्यक नहीं है कि वह स्वयं मुख्य अपराध का दोषी पाया गया हो। न ही यह पूर्णतः आवश्यक है कि कोई अन्य व्यक्ति मुख्य अपराध का दोषी पाया गया हो। तथापि, यह अनिवार्य है कि अभियोजन दो आधारों को स्थापित करे। प्रथम, कि कोई अपराध किया गया है और द्वितीय, कि अभियुक्त को उसके बारे में ज्ञान था अथवा उसे उस अपराध के किए जाने का विश्वास करने का कारण था। तभी और केवल तभी अभियोजन सफल हो सकता है, बशर्ते कि अपराध के शेष आवश्यक तत्व भी स्थापित कर दिए जाएँ।

उपर्युक्त स्थिति इस न्यायालय की त्रि-न्यायाधीशीय पीठ द्वारा वर्ष 1952 में *पालविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य*, ए.आई.आर. 1952 एससी 354 में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की गई थी :

“भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन आरोप स्थापित करने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि कोई अपराध किया गया है; केवल यह संदेह कि अपराध किया गया है, पर्याप्त नहीं है; यह कि अभियुक्त को ज्ञान था अथवा यह विश्वास करने का कारण था कि ऐसा अपराध किया गया है; और ऐसे अपेक्षित ज्ञान के साथ तथा अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से उसने उसके साक्ष्य का लोप कारित किया अथवा ऐसे अपराध के संबंध में मिथ्या सूचना दी, जबकि वह जानता था अथवा विश्वास करने का कारण रखता था कि वह सूचना मिथ्या है।”

यह स्मरण रखना उचित होगा कि पीठ ने सावधानी का एक निर्देश भी दिया था कि न्यायालय को केवल संदेहों के आधार पर, चाहे वे कितने ही प्रबल क्यों न हों, अपने निष्कर्ष आधारित करने के खतरे से स्वयं को सुरक्षित रखना चाहिए। *कलावती एवं एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य*, 1953 एस.सी.आर. 546 में इस न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने, निस्संदेह, एक अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन दोषसिद्ध किया था, यद्यपि उसे धारा 302 के अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया था। किन्तु इस न्यायालय ने ऐसा तब किया जब यह निष्कर्ष अभिलिखित किया गया कि एक अन्य अभियुक्त ने हत्या की थी तथा अपीलकर्ता ने उसके साक्ष्य का पूर्ण ज्ञान रखते हुए उसे नष्ट किया था। बाद के निर्णय *नाथू एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, [1979] 3 एससीसी 574 में इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में पुनः वही सावधानी दोहराई ::

“धारा 201 के अधीन दोषसिद्धि अभिलिखित किए जाने से पूर्व न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त को यह ज्ञान था अथवा यह विश्वास करने का कारण था कि कोई अपराध किया गया है और ऐसा

ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात् उसने शव का निपटारा करके अपराधी को बचाने का प्रयास किया।”

इस संदर्भ में इस न्यायालय के एक अपेक्षाकृत हाल के निर्णय का उल्लेख उपयुक्त होगा। *हनुमान एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य*, [1994] अनुपूरक 2 एससीसी 39 में पीठ की निम्नलिखित टिप्पणियाँ सुसंगत हैं :

“केवल यह तथ्य कि मृतक की मृत्यु कथित रूप से अप्राकृतिक थी, भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि अभियोजन यह और स्थापित करने में सक्षम न हो कि अभियुक्त व्यक्तियों को यह ज्ञान था अथवा यह विश्वास करने का कारण था कि कोई अपराध किया गया है और उन्होंने उस अपराध के किए जाने के साक्ष्य का लोप कारित किया।”

वर्तमान वाद में अभियोजन केवल इतना ही स्थापित कर सका कि आशा कुमारी का शव उसके वैवाहिक गृह के परिसर में स्थित कुएँ से बरामद किया गया था तथा उसके संबंधियों को घटनास्थल से शारीरिक रूप से दूर रखकर शीघ्रता में उसका दाह-संस्कार कर दिया गया था। निस्संदेह, ऐसी सदोष उतावली संदेह की ऐसी लहरें उत्पन्न करती है जिन्हें उन व्यक्तियों के विरुद्ध एक दोषारोपक परिस्थिति माना जा सकता है जिन्होंने ऐसी शीघ्रता दिखाई। किन्तु वह परिस्थिति पृथक एवं किसी अन्य परिस्थिति से असंबद्ध है।

अभियोजन ने यह प्रदर्शित करने का प्रयास तक नहीं किया, सिद्ध करना तो दूर रहा, कि आशा कुमारी की मृत्यु के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया गया था, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध स्थापित करने के लिए वही आधार होना चाहिए था। अतः यह दोषसिद्धि अब निराधार सिद्ध होती है और इसलिए हमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। तदनुसार, हम इस अपील को अनुज्ञात करते हैं तथा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अपास्त करते हैं। उन्हें दोषमुक्त किया जाता है।

हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ताओं को तत्काल मुक्त किया जाए, जब तक कि किसी अन्य वाद में उनकी आवश्यकता न हो।

आर.सी.के.

अपीलें अनुज्ञात की गईं।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।